(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निग. 4037/दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 72/अपील/2011-12.

---

1. मोतीलाल पिता कानाजी जाति सिर्वी
   निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी
2. शांतिलाल उर्फ मडु पिता कानाजी जाति सिर्वी
   निवासी टाण्डा तहसील कुक्षी
3. बालीबाई विधवा कानाजी जाति सिर्वी
   निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी .....आवेदकगण

विरूद्ध

मनोहर पिता गणपतलाल जाति सोनी
निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी .....अनावेदक

श्री विजय नागपाल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 24.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक मनोहर पिता गणपतलाल सोनी, निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी जिला धार द्वारा तहसीलदार, तहसील वृत्त-1 तहसील कुक्षी जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़दा टाण्डा में विपक्षी विक्रेता काना पिता दूधाजी के नाम कृषि भूमि सर्वे नंबर 269/3 पैकी रकबा 0.052, सर्वे नंबर 274/7 पैकी 0.052 तथा सर्वे नंबर 273 रकबा 0.680 की स्थित है, जिसे अनावेदक ने रू.

23000=00 में क्रय की है। उक्त कृषि भूमि पर क्रेता ने जब से क्रय की है, तभी से उस पर उसका कब्जा होकर काश्त कर रहा है। मौके की पटवारी से जांच कराई जाकर उक्त भूमि पर मनोहर पिता गणपतलाल सोनी का क्रेता नाते नामांतरण किया जाये। नायब तहसीलदार, तहसील कुक्षी द्वारा प्रकरण 5/अ-6/09-10 दर्ज कर दिनांक 13.05.2011 को आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2011 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2011 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.07.2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.09.2011 स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों ने इस कानूनी प्रश्न पर विचार ही नहीं किया है कि प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारे का आदेश दिनांक 04.08.2007 का अंतिम हो चुका होकर बंटवारे के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमियों में से भूमि विनायक पिता उम्मेदमल के नाम से नामांतरण आदेश दिनांक 21.10.2010 द्वारा विनायक का नामांतरण हो चुका है तथा बंटवारे के आदेश को चुनौती दिये बिना नामांतरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

(2) अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन के समय प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी अन्य व्यक्ति हो चुके थे, जिनको सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना व उन्हें पक्ष बनाए बिना अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया है। इस महत्वूपर्ण कानूनी स्थिति पर अपर आयुक्त ने विचार कोई विचार नहीं किया है।

(3) अपर आयुक्त ने प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन ही नहीं किया है तथा आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(4) अनुविभागीय अधिकारी को इस प्रकार से नामांतरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। इस संबंध में भी अपर आयुक्त ने विचार ही नहीं किया है।

(5) अपर आयुक्त ने आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का सही व न्यायिक उपयोग नहीं किया है।

(6) अपर आयुक्त ने तथा अनुविभागीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आवेदकगण को अनावेदक के साक्षी पर प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति पर भी अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कुक्षी, जिला धार के न्यायालय में वाद क्रमांक 15/ए/2013 आवेदकगण एवं अनावेदक के बीच चला होकर, दिनांक 21.12.2016 को उसमें निर्णय व जयपत्र पारित कर दिया है।

(2) उक्त निर्णय एवं जयपत्र अनुसार प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व एवं स्वत्व की मान ली गई है।

(3) प्रकरण में स्वयं मोतीलाल ने भी अपने कथन में यह माना था कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व स्वत्व की है।

(4) दिवानी न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अब प्रकरण में कोई स्वत्व का प्रश्न शेष नहीं रहता है।

(5) दिवानी न्यायालय का निर्णय उभय पक्ष के लिए बंधनकारी है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के वाद क्र. 15-ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 21.122016 पेश किया, जिसमें अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व माना गया है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में

अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त निर्णय के प्रकाश में आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर